FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

ब अदालत .... SDO .... मुकाम .... कापरड़ा

रमेश/पुत्र कलन्दर

हेमाराम .... बनाम .... डूंगाराम वगैरा।

किस्म मुकदमा .... 88,188,207 RT act .... नं .... 99 .... सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
10.07.2019	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री .... नरपत पुरोहित ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा .... 88,188,207 राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक .... 12.08.19 .... को पेश हो।	
12/08/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील कदम तामील प्राप्त। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर आगामी दिनांक 23/09/19 को पेश हो।	
23/09/19	पत्रावली आज पेश हुई। पक्षकारान उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दिगर कार्य में व्यस्त होने से मिसल इल्तवा होकर दिनांक 22/10/19 को पेश हो।	
22/10/19	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगण के सम्मन तामील कदम तामील प्राप्त। इन्तजार होकर पत्रावली दिनांक 09/12/19 को पेश हो।	

ब हुक्म

15/09/2020

09/12/2020

[illegible] 11/02/20

11/02/20

[illegible] 21/04/20

21/04/20

~~वादी वकील उपस्थित / [illegible]~~

पत्रावली आज पेश हुई। कोविड-2019 के चलते कोर्ट नहीं लिया गया। श्रीमान पीठासीन अधिकारी दिगर कार्यों में व्यस्त होने से मिसल ईलतवा होकर आगामी दिनांक 09/09/2020 को पेश हो।

09/09/2020

वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादीगणों के सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 से 23 की ओर से वकील श्री किशनाराम द्वारा वकालतनामा व जवाबदावा मय काउन्टर दावा पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-1 बावजूद तामील अनुपस्थित न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5:45 pm पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुआ। लिहाजा प्रतिवादी संख्या-1 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या-24 की ओर से जवाब पेश किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। अतः पत्रावली वास्ते वादी साक्ष्य दिनांक 15/09/2020 को पेश हो।

[signature]

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
15/09/2020	पुकारा फरीकैन उपस्थित। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में PW-1 हेमाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी- खोखसर पूर्व एवं स्वयं व PW-2 हेमाराम पुत्र चन्दाराम जाति- जाट निवासी- खोखसर पूर्व तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर, PW-3- आसूराम पुत्र श्री रुघाराम जाति- जाट निवासी- खोखसर पूर्व तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर व प्रतिवादी वकील द्वारा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या- 12 स्वयं DW-1 श्री आईदानराम पुत्र श्री हीराराम जाति जाट निवासी- खोखसर पूर्व तहसील- गिड़ा जिला- बाड़मेर के शपथ पत्र पेश किये गये जिन्हें शामिल पत्रावली किया गया। वादी व प्रतिवादी और साक्ष्य पेश नहीं करना चाहते है। वादी व प्रतिवादी साक्ष्य बन्द किये जाकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक- 21/10/2020 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	क्र.सं. हेमाराम (हस्ताक्षर) (हेमाराम s/o चन्दाराम) (हस्ताक्षर) (आसूराम) आईदानराम
21/10/2020	पुकारा फरीकैन उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड तथा वादी व प्रतिवादीगणों की ओर से पेश साक्ष्य शपथ-पत्रों का अवलोकन किया गया बाद अवलोकन वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या- 2 से 23 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा गया व शामिल पत्रावली किया गया। डिक्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो, इन्द्राज रजिस्टर से कम हो, दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर)	

नम्बर
अहलकाम
हुक्म की ता.
में जारि हुए

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 99/2019

वादी

1. हेमाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी खोखसर पूर्व तहसील गिडा जिला बाडमेर

बनाम

प्रतिवादी

1. गंगाराम पुत्र चिमनाराम
2. भूराराम पुत्र रूपाराम
3. खेमाराम पुत्र भेराराम
4. पपूराम पुत्र भेराराम
5. हेमाराम गोदपुत्र पुरखाराम
6. भीखी पुत्री गिरधारीराम पत्नी भारूराम
7. मंगलाराम पुत्र जोगाराम
8. खीयाराम पुत्र जोगाराम
9. रेखाराम पुत्र जोगाराम
10. खेताराम पुत्र अचलाराम
11. हेमाराम पुत्र अचलाराम
12. आईदानराम पुत्र हीराराम
13. खेमाराम पुत्र हीराराम
14. खेताराम पुत्र मगाराम
15. पनाराम पुत्र मगाराम
16. गोरधनराम पुत्र मगाराम
17. ठाकरराम पुत्र मगाराम
18. मोतीराम पुत्र मगाराम
19. राजूराम पुत्र मगाराम जातियान् जाट निवासीयान् खोखसर पूर्व तहसील गिडा जिला बाडमेर
20. सारोदेवी पत्नी मगाराम प्रतिवादीगण संख्या 17 से 19 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादी संख्या 20 सारोदेवी
21. गैरोदेवी पत्नी अचलाराम
22. टीपूदेवी पत्नी अचलाराम
23. गवरीदेवी पत्नी भेराराम
24. शाखा प्रबंधक आर.एम.जी.बी. शाखा परेउ
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिडा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

विवेक व्यास

उपस्थित :– 1. श्री नरपत पूनड़ वकील वादी
2. श्री किशनाराम वकील प्रतिवादी संख्या 2 से 23

–: निर्णय :– दिनांक 21/12/2020

वादी ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 की पैतृक संयुक्त खातेदारी की भूमि मौजा खोखर पूर्व पटवार मण्डल खोखर तहसील गिडा के खेत खसरा नम्बर 1380, 1451, 1450, 1374, 1410, 1432, 1467 रकबा क्रमशः 24.18, 13.00, 15.15, 24.00, 12.10, 200.16, 74.00 बीघा कुल रकबा 364.19 बीघा की आई हुई है। वादग्रस्त भूमि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 के पूर्वज सालूराम के कब्जा काश्त की होने तथा सालूराम का स्वर्गवास सेटलमेन्ट से पूर्व हो जाने के कारण प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज चिमनाराम ने सालूराम की खातेदारी जमीन को उसके तीनों पुत्रों बागा, सोना, चिमना में बराबर–बराबर अंकित न करवा कर अपने नाम से अधिक रकबा अंकित करवा दिया तथा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 व 23 के पूर्वज सोनाराम व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 22 के पूर्वजों पुरखा, जोगा व भीया के नाम से कम रकबा दर्ज करवा दिया। इस प्रकार वादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 23 की पैतृक व पुश्तैनी खातेदारी की जमीन होने के कारण सम्पूर्ण आराजी में 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 व 23 का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 22 का माफिक वंश वृक्ष के खातेदारी में बनता है लेकिन प्रतिवादी संख्या 1 के पूर्वज चिमनाराम ने सेटलमेन्ट अधिकारियों व कर्मचारियों से सांठ गांठ कर अपने नाम से अधिक भूमि अंकित करवा दी तथा वादी के पूर्वज सोनाराम व प्रतिवादीगण संख्या 5 से 22 के पूर्वजों पुरखा, जोगा, भीया के संयुक्त नाम से कम भूमि दर्ज करवा दी जबकि वादग्रस्त आराजी पूर्व पुरूष सालूराम के समय की होने के कारण सालूराम के तीनों पुत्रों सोनाराम, चिमनाराम व बागाराम का बराबर–बराबर हक हिस्सा बनता है जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 1 की ओर से कोई उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादीगण संख्या 2 से 23 की ओर से वकील श्री किशनाराम द्वारा वकालातनमा व इकबाली जवाब मय काउन्टरक्लेम पेश किया गया। वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में वादी स्वयं का शपथ पत्र PW 1, स्वतंत्र गवाह PW 2 हेमाराम पुत्र चन्दाराम, PW 3 आसुराम पुत्र हरूराम तथा प्रतिवादी साक्ष्य के रूप में प्रतिवादी संख्या 12 आईदानराम पुत्र हीराराम का शपथ पत्र DW-1 के शपथ पत्र पेश किये जो शामिल पत्रावली किये गये।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 से 23 का इकबाली जवाब मय काउन्टरक्लेम शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 2 से 23 के वकील को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से पूर्व वादी के दादा सालूराम के कब्जे काश्त की थी तथा वक्त सेटलमेन्ट सालूराम के तीनों पुत्रों सोनाराम, चिमनाराम व बागाराम का बराबर-बराबर हक हिस्सा बनता है। इस प्रकार वादी व प्रतिवादी संख्या 2 से 23 सालूराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादी का वादग्रस्त भूमि मे पैतृक हिस्सा बनता है तथा वादग्रस्त समस्त भूमि में 1/3 हिस्सा वादी व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 व 23 का, 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 1 का तथा 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 से 22 घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादी द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद-पत्र व प्रतिवादीगण संख्या 2 से 23 का काउन्टर क्लेम स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा खोखर पूर्व पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1380, 1451, 1450, 1374, 1410, 1432, 1467 रकबा क्रमशः 24.18, 13.00, 15.15, 24.00, 12.10, 200.16, 74.00 बीघा कुल रकबा 364.19 बीघा (वर्तमान विभक्त खसरा नम्बर 1669/1374, 1671/1380, 1669/1410, 1680/1432, 1690/1467, 1633, 1465, 1466, 1450, 1451, 1368, 1463, 1670/1374, 1672/1380, 1680/1410, 1687/1432, 1691/1467 रकबा क्रमशः 12.00, 12.09, 06.05, 100.08, 37.00, 139.03, 00.11, 01.06, 15.15, 13.00, 00.10, 00.03, 12.00, 12.09, 06.05, 100.08, 37.00 बीघा) में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 व 23 का 1/3 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 22 का 1/3 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति, संबंधित बैंक में रहन दर्ज रहेगी। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना-अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 21/12/2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

(6)

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादी
हेमाराम		गंगाराम वगैरा

दावा बाबत 88, 188, 207 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–99/2019. निर्णय दिनांक :– 21/12/2020

वादी की ओर से वकील श्री नरपत पूनड व प्रतिवादी संख्या 2 से 23 की ओर वकील श्री किशनाराम की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 21/12/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि :–

वादी का वाद व प्रतिवादी संख्या 2 से 23 का काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर मौजा खोखर पूर्व पटवार मण्डल खोखर तहसील गिड़ा के खेत खसरा नम्बर 1380, 1451, 1450, 1374, 1410, 1432, 1467 रकबा क्रमशः 24.18, 13.00, 15.15, 24.00, 12.10, 200.16, 74.00 बीघा कुल रकबा 364.19 बीघा (वर्तमान विभक्त खसरा नम्बर 1669/1374, 1671/1380, 1669/1410, 1680/1432, 1690/1467, 1633, 1465, 1466, 1450, 1451, 1368, 1463, 1670/1374, 1672/1380, 1680/1410, 1687/1432, 1691/1467 रकबा क्रमशः 12.00, 12.09, 06.05, 100.08, 37.00, 139.03, 00.11, 01.06, 15.15, 13.00, 00.10, 00.03, 12.00, 12.09, 06.05, 100.08, 37.00 बीघा) में वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 से 4 व 23 का 1/3 वां हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/3 वां हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 5 से 22 का 1/3 वां हिस्सा घोषित किया जाता है। वादग्रस्त भूमि पूर्व की भांति संबंधित बैंक में रहन दर्ज रहेगी। तहसीलदार गिड़ा निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 21/12/2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड		जोड	

सेवामें,

बनाम

वादी

1. हेमाराम पुत्र सोनाराम जाति जाट निवासी खोखसर पूर्व तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर

प्रतिवादी

1. गंगाराम पुत्र चिमनाराम
2. भूराराम पुत्र रूपाराम
3. खेमाराम पुत्र भेराराम
4. पपूराम पुत्र भेराराम
5. हेमाराम गोदपुत्र पुरखाराम
6. भीखी पुत्री गिरधारीराम पत्नी भारूराम
7. मंगलाराम पुत्र जोगाराम
8. खीयाराम पुत्र जोगाराम
9. रेखाराम पुत्र जोगाराम
10. खेताराम पुत्र अचलाराम
11. हेमाराम पुत्र अचलाराम
12. आईदानराम पुत्र हीराराम
13. खेमाराम पुत्र हीराराम
14. खेताराम पुत्र मगाराम
15. पनाराम पुत्र मगाराम
16. गोरधनराम पुत्र मगाराम
17. ठाकरराम पुत्र मगाराम
18. मोतीराम पुत्र मगाराम
19. राजूराम पुत्र मगाराम जातियान् जाट निवासीयान् खोखसर पूर्व तहसील गिड़ा जिला बाड़मेर
20. सारोदेवी पत्नी मगाराम प्रतिवादीगण संख्या 17 से 19 नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता प्रतिवादी संख्या 20 सारोदेवी
21. गैरोदेवी पत्नी अचलाराम
22. टीपूदेवी पत्नी अचलाराम
23. गवरीदेवी पत्नी भेराराम
24. शाखा प्रबंधक आर.एम.जी.बी. शाखा परेउ
25. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार गिड़ा

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु